अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की बहत्तरवीं (72वीं) बैठक सुश्री रीता तेवतिया, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 12 अगस्त, 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची (अनुबंध 1) के रूप में संलग्न है।

मद संख्या 72.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम चीमेनी, कासरगोड जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **18** सितंबर, **2016** के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल स्टेट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 18 सितंबर, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) ग्राम एरामम, कन्नूर जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **18** सितंबर, **2016** के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल स्टेट इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 18 सितंबर, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 72.2 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 15 सितंबर, 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जेबीएफ पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो मंगलौर, बंगलौर में मैसर्स मंगलौर (बहु उत्पाद) एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 15 सितंबर, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(ii) मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स समीर इंडस्ट्रीज जो केएएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड द्वारा संस्तुत शर्तों के अधीन 5 साल के ब्लॉक की शेष अवधि के लिए अर्थात 02 अप्रैल, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) एलओपी के नवीकरण के लिए मैसर्स किचेन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड जो केएएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन 5 साल के अगले ब्लॉक के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई कि विदेश व्यापार नीति के तहत मसूर / दालों का निर्यात निषिद्ध रहने तक कोई डीटीए खरीद नहीं होगी।

(iv) 23 जून 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बायोमेडिकल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम मटोडा, सानंद, अहमदाबाद, गुजरात में जायडस फर्मा एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 23 जून, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 72.3 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज **3,** हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स जेके बिल्डर्स का अनुरोध

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की थी क्योंकि मैसर्स जेके इनफोटेक यूनिट को कार्यान्वित करने में सफल नहीं हुआ और इसलिए आवेदक सह विकासक के रूप में सफल नहीं हो सकता है। चूंकि दो गतिविधियां अलग-अलग हैं इसलिए विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन 13200 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए भवनों तथा संबद्ध अवसंरचना के निर्माण, आईटी / आईटीईएस यूनिट के लिए स्थान के विकास तथा डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए के लिए मैसर्स जे के बिल्डर्स के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(ii) रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में मैसर्स गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ब्रिगेड (गुजरात) प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन 2,60,000 वर्गफीट (24155 वर्ग मीटर) के क्षेत्रफल में प्रसंस्करण क्षेत्र में गिफ्ट एसईजेड के अंदर कार्यालय भवनों के निर्माण एवं विकास के लिए मैसर्स ब्रिगेड (गुजरात) प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

मद संख्या 72.4 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) ऐक्शन एरिया 3जी, न्यू टाउन, कोलकाता, डाकघर कोलकाता लेदर कम्प्लेक्स, जिला दक्षिण **24** परगना में **20.148** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार से सिफारिश के अभाव में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

(ii) सर्वे नंबर **83/1,** रायदुर्ग पनमाखता गांव**,** सेरिलिंगमपल्ली मंडल**,** रंगारेड्डी जिला**,** तेलंगाना में आईटी **/** आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स देवभूमि रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 83 / 1, रायदुर्ग पनमाख्ता गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 2.02 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(iii) अमीनपुर गांव**,** पाटनचेरू मंडल**,** मेडक जिला**,** तेलंगाना में **5.67** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स लिविंग स्पेस प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अमीनपुर गांव, पाटनचेरू मंडल, मेडक जिला, तेलंगाना में 5.67 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(iv) नानक्रमगुडा गांव**,** सेरिलिंगमपल्ली मंडल**,** रंगारेड्डी जिला**,** तेलंगाना में **6.07** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नानक्रमगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 6.07 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(v) तहसील सौसार**,** जिला छिंदवाड़ा**,** मध्य प्रदेश में **1320.065** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स छिंदवाड़ा प्लस डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने तहसील सौसार, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में 1320.065 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 72.5 : विविध मामले

(i) कंपनी के निदेशकों एवं शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स क्लिक ऐप्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो मोहाली, पंजाब में मैसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने कंपनी के निदेशकों तथा शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
(vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(ii) नाम बदलकर मैसर्स सिरियस कंप्यूटर सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स अवनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो चेन्नई में मैसर्स ट्रिल की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स अवनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर मैमैसर्स सिरियस कंप्यूटर सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(iii) शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इनफार्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर **7,** सेक्टर **144,** नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने कंपनी के निदेशकों तथा शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंज़ूरी प्रदान की :

(i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(iv) प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) में संस्था को परिवर्तित करने के लिए मैसर्स वोलुपिया डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में मैसर्स गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु सेवा एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन संस्था को प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
(vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(v) पुनर्नियात के लिए विदेशों से बींस / दालों / मसूर के आयात के लिए मैसर्स मिलक वेयरहाउस, केएएसईजेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

(vi) अपनी कंपनी के नाम में परिवर्तन के लिए मैसर्स एपसिलोन फर्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड जो पोलीपल्ली गांव, जडचेरला मंडल, महबूब नगर जिला, तेलंगाना में फर्मास्युटिकल फर्मुलेशन के लिए मैसर्स टीएसआईआईसी लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स एपसिलोन फर्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स ऐमनियल ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(vii) एसईजेड नियमावली **2006** के नियम **19 (2)** के अनुसार उद्यमी को डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीआईएस) से बदलकर डेल बिजनेस प्रोसेस सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीबीपीएस) करने के लिए मैसर्स डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो प्लांट नंबर **7,** सेक्टर **144,** नोएडा में मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड था) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (2) के अनुसार उद्यमी को मैसर्स डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीआईएस) से बदलकर मैसर्स डेल बिजनेस प्रोसेस सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(viii) एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन के अनुमोदन के लिए मैसर्स बैगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो महादेवपुरा, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार से परामर्श करने के लिए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

(ix) यूनिट अनुमोदन समिति, केएएसईजेड द्वारा पारित किए गए आदेश दिनांक **6** जून **2016** के विरुद्ध मैसर्स टेक्सूल स्पिनर्स जो केएएसईजेड की यूनिट है (पुराने तथा प्रयुक्त कपड़ों से सैक और बैग के निर्माण को शामिल करने के लिए अनुमति) (मद संख्या 97.2.4), की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

<u>मद संख्या 72.6 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील</u>

(i) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 अगस्त, **2015** के विरुद्ध मैसर्स मोजेर बियर इंडिया लिमिटेड (एसईजेड पावर प्लांट यूनिट) जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

यह प्रस्ताव 12 अगस्त 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 72वीं बैठक में रखा गया था परंतु अनुमोदन बोर्ड ने अपील को आस्थगित कर दिया क्योंकि विद्युत दिशानिर्देशों के संबंध में अंतर्मंत्रालयी परामर्श की आवश्यकता है।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति, सीएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक **30** मई **2016** के विरुद्ध मैसर्स विकास टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (वीटीपीएल) जो एंबेसी टेक विलेज, बंगलौर में विकास टेलीकॉम एसईजेड का विकासक है, की अपील

12 अगस्त, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 72वीं बैठक में प्रस्ताव रखा गया था। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने अपील आस्थगित कर दी क्योंकि इसके लिए विद्युत दिशानिर्देशों के संबंध में अंतर्मंत्रालयी परामर्श की आवश्यकता है।

(iii) यूनिट अनुमोदन समिति, सीएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक **30** मई **2016** के विरुद्ध मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (एमपीपीएल) जो नगवारा, बंगलौर में मान्यता एंबेसी बिजनेस पार्क एसईजेड का विकासक है, की अपील

12 अगस्त, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 72वीं बैठक में प्रस्ताव रखा गया था। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने अपील आस्थगित कर दी क्योंकि इसके लिए विद्युत दिशानिर्देशों के संबंध में अंतर्मंत्रालयी परामर्श की आवश्यकता है।

(iv) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक **15** जुलाई, **2016** के विरुद्ध मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड की अपील

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस टिप्पणी के साथ अपील को अस्वीकार कर दिया कि आईटी / आईटीईएस एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में सैलून चलाने की अनुमति नहीं है।

(v) यूनिट अनुमोदन समिति, केएएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक **6** जून, **2016** के विरुद्ध मैसर्स टेक्सूल स्पिनर्स जो केएएसईजेड की यूनिट है (मद संख्या **97.2.3**), की अपील

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अपील इस टिप्पणी के साथ अस्वीकार कर दिया कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित गतिविधि एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 18 (4) द्वारा (ग) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के तहत आती है।

<u>पूरक एजेंडा पर निर्णय</u>

मद संख्या 72.7 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) मडिकोंडा गांव, हानमकोंडा मंडल, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **25** जून, **2014** के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएसआईआईसी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 1 जुलाई, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 72.8 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 12 अप्रैल, 2013 के बाद (तीसरे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कीरट क्राफ्ट्स जो ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 13 अप्रैल 2013 से 2 अप्रैल 2014 (पहले लदान बिल की तिथि) की मध्यवर्ती अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 72.9 : विविध मामले

(i) नाम बदलकर मैसर्स ग्लोबैंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स क्लैराइस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर **2**, ब्लू रिज टाउनशिप, कॉग्नीजेंट के पीछे, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क के पास, फेज-**1**, हिंजेवाड़ी, पुणे में मैसर्स नियोप्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स क्लैराइस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स ग्लोबैंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(ii) एसईजेड के मेगाफूड पार्क में **1856.5335** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स अडानी फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग पार्क प्राइवेट लिमिटेड (एएफएपीएल) अर्थात बहु उत्पाद एसईजेड, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के सह विकासक का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 2 (एम) (2) तथा आईटीसी (एचएस), 2012 की अनुसूची 2 - निर्यात नीति के अनुसार डीटीए से एसईजेड द्वारा दालों की खरीद निर्यात है, क्योंकि 07131000 के रूप में आईटीएस (एचएस) कोड वाली मदों को निर्यात के लिए निषिद्ध श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

(iii) आदेश दिनांक **16** मई **2016** के माध्यम से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित समामेलन की योजना के अनुसरण में उद्यमिता को आचविस आईटी एसईजेड इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (समामेलक कंपनी **1**/सह विकासक) और स्टैंडर्ड आईटी वेब सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (समामेलक कंपनी **2**/सह विकासक) से बदलकर आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (समामेलित कंपनी / विकासक) करने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने आदेश दिनांक 16 मई 2016 के माध्यम से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित समामेलन की योजना के अनुसरण में उद्यमिता को आचविस आईटी एसईजेड इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (समामेलक कंपनी 1/सह विकासक) और स्टैंडर्ड आईटी वेब सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (समामेलक कंपनी 2/सह विकासक) से बदलकर आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (समामेलित कंपनी / विकासक) करने के लिए प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(iv) एसईजेड के क्षेत्र विशिष्ट स्वरूप को "परिधान" से बदलकर "वस्त्र एवं वस्त्र की वस्तुएं" करने के लिए अनुरोध जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी), गांधी नगर द्वारा प्रस्तुत किया गया है

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के क्षेत्र विशिष्ट स्वरूप को परिधान से टेक्सटाइल एवं टेक्सटाइल की वस्तुओं में परिवर्तित करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 72.10 : औपचारिक अनुमोदनों को निरस्त करना

अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन / अधिसूचना के निरसन के निम्नलिखित 4 मामलों की जांच की तथा उनके औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने के लिए मंजूरी प्रदान की :

क्रम संख्या	विकासक / सह विकासक का नाम	क्षेत्र	औपचारिक अनुमोदन की तारीख	क्षेत्र
1.	मैसर्स मुट्ठा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	आईटी / आईटीईएस क्षेत्र	6 नवंबर, 2006	एसईईपी जेड
2.	मैसर्स ब्राडवे इंटीग्रेटेड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र।	आईटी / आईटीईएस	6 नवंबर, 2006	एसईईपी जेड
3.	मैसर्स वेरिटास इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड (गांव शाहबाज, तालुक अलीबाग, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र)।	जैव प्रौद्योगिकी	31 दिसंबर, 2009	एसईईपी जेड
4.	मैसर्स सलोनी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (गांव खारीवली एवं भोपीवली, थाणे, महाराष्ट्र)	जैव प्रौद्योगिकी पार्क	22 नवंबर, 2007	एसईईपी जेड

यह निरसन इस बात के अधीन था कि विकास आयुक्त निर्धारित प्रपत्र में यह प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत सेवा कर छूट, यदि कोई हो, सहित कोई कर / शुल्क लाभ प्राप्त नहीं किया है अथवा प्राप्त किए गए ऐसे किसी लाभ को वापस कर दिया है।

******